रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1970/वैशाख 24, 1892
No. 89] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1970/VAISAKHA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May 1970

G.S.R. 799.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraphs (Eighth amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on 15th May, 1970.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 434, in Section III relating to "Scale of charges for departmental exchange connections," in clause (i) relating to connections within the local area, in the Table relating to "(a) Measured rate system," after serial number (2) relating to "All other exchanges" and the entries relating thereto, the following note shall be inserted, namely:—

"Note.—The quarter referred to in the Table above, shall be the one envisaged in the billing cycle appropriate to a particular group of telephones."

[No. 2-14/70-TR.]

S. D. NARGOLWALA,
Senior Member (Finance) & Addl. Secy.

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई 1970

सा० का० नि० 799.—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम भारतीय तार (आठवां संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 15 मई, 1970 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 में "विभागीय एक्सचेंज कनैक्शनों के लिये प्रभार में मापमान" से संबंधित अनुभाग III में स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत कनैक्शनों से संबंधित खंड (i) में "(क) मापित दर पद्धति से संबंधित सारणी में सभी अन्य एक्सचेंज और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित क्रम संख्या (2) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"टिप्पण:—उपर्युक्त सारणी में निर्दिष्ट तिमाही वह है जो विशिष्ट ग्रुप के टेलीफोनों के लिए बिल बनाने के समुचित क्रम में परिकल्पित है।"

[सं० 2-14/70 टी० आर०]

एस० डी० नारंगोलवाला,
ज्येष्ठ सदस्य (वित्त)
और अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970